<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2399

31 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों के लिए रक्षित लौह अयस्क खानें

2399. डॉ॰ के॰ कामराजः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अनेक निजी/सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के पास अपनी रक्षित लौह अयस्क की खानें नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन की लागत उन संयंत्रों, जिनके पास रक्षित लौह अयस्क खानें हैं, की तुलना में अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>इस्पात राज्य मंत्री</u> **<u>श्री विष्णु देव साय</u>**

(क) और (ख): जी हां। देश में केवल कुछ निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के पास केप्टिव लौह अयस्क खानें है। इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका केवल सुविधाप्रदाता की है जो नीति दिशा-निर्देश निर्धारित करती है और घरेलू इस्पात क्षेत्र की सुदृढ़ दक्षता और कार्य निष्पादन हेतु एक अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए संस्थागत तंत्र/अवसंरचना स्थापित करती है। केप्टिव लौह अयस्क खान होने के नाते, फिनिश्ड इस्पात उत्पादों इत्यादि के लिए मूल्य निर्धारण विभिन्न बाजार गतिशीलता के आधार पर इस्पात उत्पादकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिये जाते है। इस्पात उत्पादन की लागत केवल लौह अयस्क की लागत पर निर्भर न होते हुए अन्य कारकों जैसे विद्युत की लागत, कोकिंग कोल, श्रमिक लागत, संयंत्र दक्षता, लॉजिस्टिक लागत इत्यादि की लागत पर निर्भर करती है।

(ग): सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योगों हेतु पर्याप्त लौह अयस्क की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये है:-

(i) अधिसूचित माइंस एण्ड मिनरल्स (डेवलप्मेंट एण्ड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2015 जो खनन पट्टों के अनुदान के लिये नीलामी तंत्र प्रदान करता है।

(ii) 58% लोहांश अवयव से अधिक वाले लौह अयस्क लम्प्स/फाइन्स पर 30% का निर्यात शुल्क लगाया गया।

(iii) घरेलू इस्पात क्षेत्र के दीर्घावधि विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को अधिसूचित किया गया।

****